शासन-565
MDM

संख्या–2389 / अड़सठ–3–2018–322 / 2016

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2018

शिक्षा अनुभाग–3

विषयः–जनपद–गोरखपुर में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराने/केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–म0भो0प्रा0 / 925–27 / 2018–19, दिनांक–28.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित जनपदों की भांति जनपद–गोरखपुर को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउण्डेशन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण कार्यक्रम में केन्द्रीयकृत किचेन के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– जनपद–गोरखपुर में मध्यान्ह मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रचलित शासनादेश सं0–1843 / 79–6–2018, दिनांक–23.12.2016, शासनादेश सं0–1112 / 79–6–2012–1 (2) / 2012, दिनांक–28.09.2012 एवं शासनादेश सं0–1208 / 79–6–2012, दिनांक–08.11.2012 में उल्लिखित नियम, शर्तें एवं व्यवस्था यथावत् प्रभावी रहेंगे।

कृपया उपर्युक्त के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

DD-I / TC
क॰ बा॰बा॰ करें
17.12.18
(अब्दुल समद)
निदेशक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–2389 (1) / 68–3–2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त / न्याय / कार्मिक / माध्यमिक शिक्षा / खाद्य एवं रसद / आवास / नगर विकास / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
3–जिलाधिकारी, जनपद–गोरखपुर।
4–शिक्षा निदेशक (बेसिक / माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ।
5–नगर आयुक्त, जनपद–गोरखपुर।
6–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अक्षयपात्र संस्था से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र समस्त कार्यवाही पूर्ण करें।
7–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11
8–गार्ड फाइल।

T.C.
17/12/18

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।